पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 292/2024

अनवान : –

1. विनोद कुमार पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिल हनुमानगढ।
2. जतिन पुत्र वेदप्रकाश जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

वादीगण

बनाम

1. चिडिया देवी पुत्री लिछमणराम पत्नी शमीचन्द जाति जाट निवासी 36 ए नित्यानगर जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
2. तुलछादेवी उर्फ माया देवी पुत्री लिछमणराम पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. पारो देवी उर्फ पार्वती देवी पुत्री लिछमणराम पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
4. सुपारी देवी पुत्री लिछमण पत्नी लालचन्द जाति जाट निवासी नुकेरां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा एंव खाता विभाजन
अन्तर्गत धारा
88 , राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

डिक्री   दिनांक 19/11/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री रूपराम कासनिया व वकील प्रतिवादी श्री रामस्वरूप भादू अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक नं0 7 सीडीआर के जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता सं0 29/141 में कुल 7.185 है0 नहरी मय गै०मु० आराजी में से प्रतिवादीया सं0 1 चिड़िया देवी का 717 /4790 हिस्सा में से 0.349 है० व प्रतिवादीया सं0 2 तुलछा[...]717/4790 हिस्सा में से 0.349 है0 व प्रतिवादीया सं0 3 पारो देवी के 173/7185 हिस्सा [...] सं0 4 सुपारी देवी के 367/7185 हिस्सा के वादीगण ब0हि0व0 के खातेदार के [...]कार घोषित किया जाता [...] इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जाने के आदेश दिए जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.12.19 13:11:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/11/24...... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.12.19 13:11:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner